न्यायालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

वाद का प्रकारः— विविधवाद

वाद सं0ः—03/2023—24

सुखमतिया देवी, पति—राजू भुईयां एवं अन्य
साकिन—चैनपुर, थाना+जिला—चतरा

.....प्रथम पक्ष

बनाम

महेश यादव, पिता—चेतलाल यादव एवं अन्य सभी साकिन—चैनपुर, थाना+जिला—चतरा।

.....द्वितीय पक्ष

प्रश्नगत् भूमि का विवरण

मौजा—चैनपुर, थाना नं0—263 अन्तर्गत खाता सं0—31, प्लॉट संख्या—328, रकवा—0.29 ए0 एवं प्लॉट सं0—330, रकबा—0.08 ए0।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश, पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख— सहित
06.09.23 C.C issued	प्रस्तुत अभिलेख का संधारण आवेदिका सुखमतिया देवी, पति—राजू भईयां एवं सरीता देवी, पति—शुकला भूईयां, साकिन मौजा—चैनपुर के आवेदन पर किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसमे उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने हेतु मूल राजस्व कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु प्रशासनिक नोटिस निर्गत किया गया। पुनः दिनांक—05.06.2023 को उक्त मामले को विविधवाद में परिणत किया गया। उभय पक्ष न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना—अपना कारण पृच्छा दाखिल किये एवं अपने कथन के समर्थन में कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया। उभय पक्ष का तर्क भी सुना गया। प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा—चैनपुर, थाना सं0—263, खाता सं0—31, प्लॉट सं0—328, रकबा—29 डि0, जिसका चौहद्दी उ0—रास्ता, द0—बकास्त राम प्रसाद सिंह, पू0—रमल भूईयां, प0—रास्ता तथा प्लॉट सं0—330, रकबा—08 डि0 जिसकी चौहद्दी उ0—रास्ता, द0—टांड रमल भूईयां, पू0—रमल भूईयां, प0—रास्ता प्रथम पक्ष के पूर्वज सर्वे रैयत धनु भूईयां के नाम से दर्ज है। गांव के महेश यादव, जागेश्वर यादव, दिनेश्वर यादव, महादेव यादव चारों के पिता—चेतलाल यादव एवं प्रयाग यादव, पिता—स्व0 रामा महतो द्वारा हमारी उक्त भूमि को हल बैल से जोत रहे थे। हमलोगों द्वारा उक्त व्यक्तियों को हमारे जमीन	

Scanned with OKEN Scanner

पर जोत कोड़ करने से रोका गया, जिसके कारण वे लोग हमलोगों को धमकी दे रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त भूमि से संबंधित खतियान न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–01 से 04 द्वारा अपने लिखित कथन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–चैनपुर, थाना सं0–263, खाता सं0–31, प्लॉट सं0–328, रकबा–06 डि0 भूमि निबंधित केवाला सं0–1002 दिनांक–10.05.1994 को खतियानी रैयत का वंशज विक्रेता सुखदेव भुईयां से द्वितीय पक्ष ने क्रय किया है। पुनः दिनांक–31.05.1999 को उक्त खाता सं0–31, प्लॉट सं0–328, रकबा–07 डि0 भूमि उक्त विक्रेता सुखदेव भुईयां से द्वितीय पक्ष ने क्रय किया है, जिसका दाखिल–खारिज हो कर सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है। खरीदगी के बाद से अबतक द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर जोत–कोड़ तथा खेती–बारी कर अपना दखल–कब्जा बनाए हुए हैं। आगे उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि का दाखिल–खारिज होने के पश्चात अब दाखिल–खारिज के विरूद्ध अपील दायर नहीं किया गया, और ना ही उक्त भूमि का निबंधित केवाला को निरस्त करने हेतु व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का निष्पादित दाखिल–खारिज फाईनल है।

द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–05 के द्वारा अपने लिखित कथन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–चैनपुर, थाना सं0–263, खाता सं0–31 सर्वे खतियान में धनु भुईयां, हुलास भुईयां, रमना भूईयां पिता–सिटन भूईयां तथा वैजनाथ भुईयां वल्द पुर्णिया भुईयां वो हुसैनी भुईयां वो मुसवा भुईयां वल्दान झमन भुईयां के नाम से दर्ज है। उक्त खाता सं0–31 में कुल दो प्लॉट 328 एवं 330 है जिसका कुल रकबा–37 डि0।

आगे उल्लेख किया गया है कि खतियानी रैयत धनु भूईयां के दो पुत्र कोयली भुईयां एवं एतवारी भुईयां थे। वैजनाथ के दो पुत्र दुखी भुईयां तथा विफा भुईयां थे और दुखी भुईयां के एक पुत्र धमना भुईयां जिसके नाम से अभी कुल 24 डि0 जमीन का रसीद निर्गत हो रहा है। धमना भुईयां का एक पुत्र सुखदेव भुईयां तथा विफा भुईयां का दो पुत्र नारायण भुईयां हुए जो नावल्द मर गए। दूसरा शंकर भुईयां जिनके तीन पुत्र जगदीश भुईयां, चंद्रिका भुईयां तथा पुनित भुईयां है। चंद्रिका भुईयां के दो पुत्र तापेश्वर भुईयां तथा तरूण भुईयां है। शेष हुलास भुईयां, रमना भुईयां, हुसैनी भुईयां, मुशवा भुईयां नावल्द मर गए। इस प्रकार खाता सं0–31 के दो वारिसान धनु भुईयां तथा वैजनाथ भुईयां के वारिसान के बीच खाता सं0–31 का आधा–आधा हिस्सा बंट गया तथा प्रत्येक को $18\frac{1}{2}$ डि0 भूमि मिला।

Scanned with OKEN Scanner

द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–05 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वैजनाथ भुईयां के जायज वारिसान ने आधा हिस्सा में से 08 डि0 भूमि खाता सं0–31, प्लॉट सं0–330 अंतर्गत द्वितीय पक्ष की पत्नी श्रीमती फुलिया देवी, पति प्रयाग यादव को बजरिए एकरारनामा 210000 (दो लाख दस हजार) रूपये अग्रिम लेकर दखल–कब्जा दे दिया है।

अंत में द्वितीय पक्ष के सभी पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त वाद के कार्यवाही से मुक्त किया जाय एवं आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाय। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर अपने दावे से संबंधित राजस्व कागजात की छायाप्रति न्यायालय में दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के कथन, समर्पित राजस्व कागजात, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा के जांच प्रतिवेदन के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि:–

1. मौजा–चैनपुर, थाना सं0–263, खाता सं0–31, प्लॉट सं0–328, रकबा–31 डि0, प्लॉट सं0–330, रकबा–08 डि0 भूमि खतियान में सर्वे रैयत धनुआ भुईयां वो दुबरा वो रमना वो दशवा पिता सिटन चार हिस्सा व हिस्सा बराबर वो हुसेनिया वो मुसवा, पिता–झमना एक हिस्सा व हिस्सा बराबर वो सुकना पिता पुरन भुईयां पांच हिस्सा रैयती खाता दर्ज है।
2. प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा उनके पूर्वज के नाम से दर्ज खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है। जिसकी जमाबंदी मौजा–चैनपुर, थाना सं0–263 के पंजी–2 के पृष्ठ सं0–60/1 पर खाता सं0–31, रकबा–24 डि0 भूमि धमना भुईयां, पिता–दुखी भुईयां के नाम से कायम है।
3. द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–01 से 04 ने सुखदेव भुईयां, पिता–स्व0 धमना भुईयां से जागेश्वर प्रसाद यादव, विनेश्वर प्रसाद, महादेव प्रसाद यादव, महेश प्रसाद यादव, पिता–स्व0 चेतलाल यादव के नाम से उक्त भूमि प्रथम केवाला सं0–2698 दिनांक–10.05.1994 द्वारा मौजा–चैनपुर, थाना सं0–263, खाता सं0–31, प्लॉट सं0–328, रकबा–06 डि0 भूमि एवं द्वितीय केवाला सं0–1703 दिनांक–31.05.1999 द्वारा खाता सं0–31, प्लॉट सं0–328, रकबा–07 डि0 भूमि क्रय किया है तथा दाखिल खारिज हो कर जमाबंदी कायम है। अतः द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–01 से 04 का दावा सबल प्रतीत होता है।
4. द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–05 द्वारा खतियानी रैयत के वंशज तापेश्वर भुईयां, तरूण भुईयां दोनो के पिता–स्व0 चंद्रिका भुईयां एवं पुनित भुईयां, पिता–स्व0 शुकर भुईयां से अपनी पत्नी फुलीय देवी के नाम से एकरारनामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा–चैनपुर, थाना सं0–263, खाता सं0–31, प्लॉट सं0–330,

Scanned with OKEN Scanner

रकबा–08 डि0 भूमि पर दावा किया जा रहा है। अतः एकरानामा के आधार पर द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0–05 का उक्त भूमि पर दावा करना निराधार है।

अतः उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर विवादित मामला सिविल प्रकृति का है, अतएव असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

06/09/23

अंचल अधिकारी,
चतरा।

06/09/23

अंचल अधिकारी,
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.20 20:35:07 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner